संख्या-61/2021/1021/22-2-2020-17(423)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 मई, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र प्रधान पुत्र श्री महावीर यादव, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5/दया0 बैठक 28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र प्रधान पुत्र श्री महावीर यादव जो- ग्राम-बसई(हवीबपुर), थाना-बल्देव, जनपद-मथुरा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 08.11.2002 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सरिया, लाठी एवं फावड़ा से मारकर कर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-42/2003 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149, 427 एवं 3(2)5, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, मथुरा के आदेश दिनांक 20.08.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 09 वर्ष, 00 माह, 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष, 05 माह, 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.06.2019 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी रमेश चन्द्र प्रधान पुत्र श्री महावीर यादव द्वारा कारावास में भोगी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रमेश चन्द्र प्रधान (बन्दी संख्या-17020) पुत्र श्री महावीर यादव, निवासी जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-61/2021/1021(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मथुरा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in